अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खाचरौद, जिला उज्जैन

(समक्षः शोएब खान)

दायरा कमांक–23/2022
Registration No. MACC/23/2022
Filing No. MACC/241/2022
CNR No. MP1305-001104/2022
Filing Date-12-10-2022

	शेरू खां पिता श्री वहीद खांन, उम्र 47 वर्ष, निवासी–सात सवार आजाद गली, खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)	–––––– **आवेदक**

//विरूद्ध//

01.	शुभम पंवार पिता बाबूलाल जी, उम्र 22 वर्ष, निवासी–नागदा रोड़ कॉलेज के सामने खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)	
02.	राधाबाई पति रामपाल कलेसिया, उम्र 60 वर्ष, निवासी–उपर वाली टोली दरगाह के पास आलोट जिला रतलाम (म.प्र.)	–––– **अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा	श्री सादिक शाह अधिवक्ता।
अनावेदकगण	एकपक्षीय।

// अ धि नि र्ण य //

(आज दिनांक–14/08/2023 को पारित)

01– आवदेक ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं को आई चोटों की क्षतिपूर्ति राशि 10,25,000/–(दस लाख पच्चीस हजार रूपये) प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

02– आवदेक का क्लेम आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.04.2022 को आवेदक व उसका साथी बल्लू शाम 04:30 बजे के लगभग हाथ ठेले से लोहे की चैनल लेकर बड़नगर रोड़ जा रहे थे और उज्जैन दरवाजा आशीर्वाद क्लीनिक के सामने पहुंचे तभी उनके पीछे एक कार होण्डा सिटी क्रमांक एम.पी. 09 सी.बी. 9711 आ रही थी, तभी एक अन्य इनोवा कार क्रमांक एम.पी. 09 एल.के. 0199 का चालक अपनी कार को तेज गति व लारवाही से चलाकर लाया और होण्डा सिटी कार को टक्कर मारते हुए आवेदक व उसके साथी के हाथ ठेले में टक्कर मार दी जिससे आवेदक के दाहिने हाथ व शरीर के अन्य भागों पर चोटें आयी एवं बल्लू

को बायें हाथ व पैर तथा कमर में चोटें लगी। टक्कर लगने से उनका ठेला पलट गया एवं होण्डा सिटी कार को भी नुकसान हुआ था। घटना आवेदक के लड़के मकसूद एवं पीछे आ रहे परेश जैन व कैलाश ने देखी। दुर्घटना के संबंध में थाना खाचरोद में अपराध क्र–178/2 अनावेदकगण के विरूद्ध दर्ज किया गया है जिसका अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर आपराधिक प्रकरण क्र–318/22 विचाराधीन है।

03– दुर्घटना में आवेदक के दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगने से उसका प्राथमिक उपचार शासकीय चिकित्सालय खाचरौद में हुआ एवं उसके पश्चात जिला अस्पताल रतलाम में इलाज हुआ है। इसके पश्चात आवेदक ने अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज वलेचा एवं डॉ. जावेद नकवी इन्दौर से इलाज कराया। एक्स–रे कराने पर आवेदक के सीधे हाथ की अंगूली में फ्रेक्चर होना पाया गया था जिसका ऑपरेशन किया गया था। आवेदक वहां 10 दिन तक भर्ती रहकर इलाजरत रहा था। आवेदक के इलाज में डेढ लाख रूपये खर्च हो गये हैं। आवेदक को इलाज के बाद 03 माह तक निरंतर इलाज कराना पड़ा है। दुर्घटना से पूर्व आवेदक हम्माली का कार्य कर 30 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। ऑपरेशन के बाद आवेदक अब पूर्ण क्षमता से अपना हम्माली का कार्य करने में असमर्थ हो गया है। आवेदक ने उक्त चोटों एवं अस्थाई अपंगता के लिये अनावेदकगण से समस्त मदों में कुल 10,25,000/–रूपये तथा उस पर दुर्घटना दिनांक से 09 प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की याचना की है।

04– अनावेदक क्र0 2 को सम्यक् तामील उपरांत उसकी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं अनावेदक क्र0 1 के दिनांक 26.06.2023 को अनुपस्थित रहने से प्रकरण में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अनावेदकगण की ओर से कोई जबावदावा या साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गयी है।

05– मेरे समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :–

क्र.	**विचारणीय प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दिनांक 11.04.2022 को शाम 04:30 बजे, उज्जैन दरवाजा आशीर्वाद क्लीनिक के सामने, इनोवा कार क्र–एम. पी. 09 एल.के. 0199 के चालक अनावेदक क्र0 1 ने उपेक्षा	''प्रमाणित''

	व लापरवाही से उक्त वाहन चलाकर आवेदक के हाथ ठेले में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	
2.	क्या उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के परिणामस्वरूप आवेदक को स्थाई विकलांगता कारित हुई?	''प्रमाणित नहीं''
3.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के पात्र हैं? यदि हां तो किससे और कितनी ?	''अधिनिर्णय के पैरा **क–23** के अनुसार''
4.	अनुतोष एवं वाद व्यय?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

–:: निष्कर्ष के आधार ::–

वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण :–

06– आवदेक शेरू खांन (आ.सा.–1) का कथन है कि दिनांक 11.04.2022 को वह एवं उसका साथ बल्लू हाथ ठेले से लोहे की चैनल लेकर अपनी साईड से बड़नगर रोड़ जा रहे थे। सामने से एक होण्डा सिटी कार क्र–एम.पी. 09 सी.बी. 9711 आ रही थी। जैसे ही वे अशीर्वाद क्लीनिक के सामने पहुंचे तो पीछे से एक इनोवा कार क्रमांक एम.पी. 09 एल.के. 0199 का चालक अनावेदक क्र0 1 उसकी कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और होण्डा सिटी कार में टक्कर मारते हुए उनके हाथ ठेले में टक्कर मार दी जिससे उसे दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट लगी एवं अंगूठे के पास की पहली अंगुली टूट गयी एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट लगी। उसके साथी बल्लू को बायें हाथ, पैर व कमर में चोट लगी एवं ठेला पलट गया। आवेदक की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डित रही है। ऐसी स्थिति में उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

07– दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदक ने प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2, घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, मुलाहिजा फॉर्म प्रदर्श पी–4 व 5, धारा 41 द.प्र.सं. का सूचना पत्र प्रदर्श पी–6 व 7, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–8, धारा 133 मोटरयान अधिनियम का सूचना पत्र प्रदर्श पी–9, थाना खाचरौद का पत्र प्रदर्श पी–10, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–11, नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी–12, सुपुर्दगी आदेश प्रदर्श पी–13, सुपुर्दगी रसीद प्रदर्श पी–14 प्रस्तुत की हैं। आपराधिक मामले के इन दस्तावेजों से आवेदक के कथनों की पुष्टि होती है।

08— अनावेदकगण के एकपक्षीय रहने से उनकी ओर से खंडन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। वाहन चालक दुर्घटना का सबसे निकटतम और श्रेष्ठ साक्षी होता है, जो यह स्पष्ट कर सकता है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में किसकी लापरवाही से घटित हुई थी। अनावेदक क0 1 ने साक्षी कक्ष में आकर यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में व किसकी लापरवाही से घटित हुई थी। यदि अनावेदक इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं देता है तो उसके विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा मानी जावेगी। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम विरूद्ध वैजयंती 1995 ए.सी.जे. 560, गायत्रीबाई विरूद्ध नरेन्द्र 1992 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन.141, चंदादेवी विरूद्ध गजेन्द्रसिंह 2004 एसीजे 634 एम.पी.** अवलोकनीय है।

09— प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के मामलों में साक्ष्य व अभिवचन के सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होते हैं, साक्ष्य का परीक्षण अधिसम्भाव्यता की प्रबलता के आधार पर ही किया जाता है। इस सम्बन्ध में **Mangla Ram Vs. Oriental Insurance Com. Ltd., AIR 2018 SC 1900** अवलोकनीय है।

10— आपराधिक मामले के दस्तावेजों से पुष्ट साक्षी शेरू खांन आ.सा.—1 की अखंडित साक्ष्य एवं अनावेदक क0 1 के विरूद्ध उत्पन्न उपधारणा से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अनावेदक क0 1 द्वारा आक्षेपित वाहन को उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई थी। अतः विचारणीय प्रश्न क—1 निष्कर्ष 'प्रमाणित' के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 2 का निराकरण :—

11— आवदेक शेरू खांन आ.सा.—1 ने बताया कि दुर्घटना में उसके दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट लगी एवं अंगूठे के पास की पहली अंगुली टूट गयी। अंगुली को जोड़ने के लिए उसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद उसका इन्दौर में 10 दिन तक भर्ती रखकर इलाज हुआ था। इलाज के बाद भी वह अब पूर्ण क्षमता के साथ हम्माली का काम करने में असमर्थ हो गया है।

12— आवेदक की ओर से प्रस्तुत एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—15, शाह अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी—26, एक्स—रे प्लेटों से आवेदक के दाहिने हाथ के पंजे की हड्डी में फ्रेक्चर होना एवं ऑपरेशन कर उसमें रॉड डाली जाना स्पष्ट रूप से

प्रकट होता है।

13— जहां तक दुर्घटना के कारण आवेदक को स्थायी अयोग्यता उत्पन्न होने का प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक ने अयोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी चिकित्सक की साक्ष्य नहीं करवाई है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की साक्ष्य के अभाव में उसे स्थाई अयोग्यता कारित होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि न्याय दृष्टांत **बादाम विरूद्ध अमरलाल एवं अन्य 2006 (1) विधि भास्वर 13, काशीनाथ साधु बनाम मेसर्स लीला ट्रांसपोर्ट कम्पनी 2017 (1) टी.ए.सी. 652 कलकत्ता एवं नाथूलाल बनाम कचरूलाल एवं अन्य 2013 (2) टी.ए.सी. 15 म.प्र.** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्थाई निर्योग्यता/अपंगता चिकित्सकीय साक्ष्य के अभाव में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को स्थायी नि :शक्तता से ग्रस्त होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। जब तक कि अभिलेख पर तर्कपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध न हो, न्यायालय क्षतिग्रस्त व्यक्ति के अंग विकार, उसके स्थायी निःशक्तता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। चिकित्सक ही आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है तथा अंग विकार व निःशक्तता के निर्धारण के लिये उचित तकनीकी पद्धति लेख कर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और वह प्रमाण पत्र उचित चिकित्सकीय साक्ष्य पेश कर साबित किया जा सकता है।

14— अतः इस अधिकरण के मत में आवेदक को ऐसी कोई स्थायी अयोग्यता कारित होना नहीं माना जा सकता जिससे कि उसकी अर्जन क्षमता प्रभावित होती हो, इसलिये उसे स्थायी अयोग्यता कारित होना प्रमाणित नहीं होता है, किंतु आवेदक को गंभीर उपहति कारित होना प्रमाणित हुआ है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 ''प्रमाणित नहीं'' ऐसा निष्कर्ष दिया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण</u> :—

15— आवेदक शेरू खांन आ.सा.—1 ने बताया है कि दुर्घटना में उसके दाहिने हाथ की अंगुली में फ्रेक्चर हुआ था। उसका रतलाम जिला चिकित्सालय में इलाज चला था। डॉ. नीरज वालेचा एवं डॉ. जावेद नकवी इन्दौर से भी इलाज कराया था। उसकी अंगुली का ऑपरेशन कर उसमें रॉड डाली गयी थी। इन्दौर के अस्पताल में वह 10 दिन तक भर्ती रहा था एवं उसके बाद उसका 03 महीने तक इलाज हेतु इन्दौर एवं रतलाम जाना पड़ता था। लगातार इलाज चलने एवं ऑपरेशन होने के बाद भी उसका हाथ ठीक नहीं हुआ है। उसके इलाज में डेढ लाख रूपये खर्च हो

गये हैं। आवेदक ने जिला अस्पताल रतलाम का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी–26, इलाज के दस्तावेज प्रदर्श पी–15 लगायत 30 तथा दबाईयों के बिल प्रदर्श पी–31 लगायत प्रदर्श पी–33 प्रस्तुत किये हैं। डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी–26 से आवेदक का जिला अस्पताल रतलाम में दिनांक 11.04.2022 से 18.04.2022 तक भर्ती रहना प्रकट होता है। आवेदक की ओर से दबाईयों एवं डॉक्टर के परामर्श के जो बिल एवं रसीद प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी राशि का कुल योग 3,501/–रूपये होता है। इस प्रकार आवेदक के ईलाज में कुल 3,501/–रूपये खर्च होना प्रकट होता है। आवेदक को आई चोटों एवं इलाज के बढ़ते हुए खर्च को दृष्टिगत रखते हुये इस राशि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है। अतः इस अधिकरण के मत में आवेदक द्वारा ईलाज पर किया गया मेडिकल खर्च राउंड फिगर में 3,500/–रूपये आवेदक पाने का पात्र है।

16– वाद प्रश्न क्रमांक 2 के निराकरण में इस अधिकरण ने आवेदक के दाहिने हाथ की हड्डी में गंभीर उपहति कारित होना प्रमाणित पाया है। आवेदक के दाहिने हाथ के पंजे की हड्डी में फ्रेक्चर हुआ है और उसका ईलाज चला है और उसका ऑपरेशन भी हुआ है। निश्चित ही ऐसी चोटों के कारण आवेदक को गंभीर शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी है। दुर्घटना के कारण उसे मानसिक वेदना भी हुई है और ईलाज के दौरान पौष्टिक आहार लेना पड़ा है। आवेदक का इलाज रतलाम एवं इन्दौर के अस्पताल में चला है और आवेदक खाचरौद नगर का निवासी है। अतः आवेदक को अटेंडेंट और आवागमन व्यय भी उठाना पड़ा है, यह माना जा सकता है।

17– आवेदक द्वारा क्लेम आवेदन में हम्माली से 30 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है एवं अपने कथन में स्वयं को दुर्घटना के समय हम्माली करना बताया है, किंतु आय के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी साक्षी का कथन कराया है इसलिए आवेदक को हम्माली का कार्य करना और उससे आय अर्जित करना प्रमाणित नहीं होता है। उक्त कार्य से आवेदक को कितने रूपये की आय होती थी, इस संबंध में उसने कोई कथन नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अकुशल मजदूर मानकर क्षतिपूर्ति राशि की गणना किया जाना उचित होगा। दुर्घटना अप्रैल 2022 की है तथा आवेदक उज्जैन जिले का निवासी होना बताया गया है। कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा मजदूरी के संबंध में जारी आदेश क्रमांक/वित्त–3/2022/2643 उज्जैन दिनांक 06.04.2022 से

अकुशल श्रमिक की मजदूरी 9,125/–रुपये प्रतिमाह होना अभिनिर्धारित की गई है। प्रत्येक दिन मजदूरी ना मिल पाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर उज्जैन के मजदूरी भुगतान आदेश के अनुसार आवेदक की मासिक मजदूरी 8,500/–रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाना उचित होगा।

18– आवेदक का दिनांक 11.04.2022 से 18.04.2022 तक जिला अस्पताल रतलाम में भर्ती रहना, उसके डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी–26 से प्रकट होता है। दिनांक 18.04.2022 के बाद आवेदक का समय समय पर जाकर दिनांक 14.06.2022 तक जिला अस्पताल रतलाम एवं इन्दौर में इलाज कराया जाना उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं चिकित्सकों के पराशर्म दस्तावेज से प्रकट होता है। आवेदक की चोट एवं उसके इलाज को देखते हुए सहज रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 03 माह तक आय अर्जन का कोई कार्य नही कर सका होगा। इस मद में आवेदक को 25,500/– रूपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र है।

19– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्याय दृष्टांत **राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार (2011) 1 एस. सी. सी. 343** एवं **रेखा जैन विरूद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3429** में प्रतिपादित किये गये सिद्धांत अनुसार आवेदक को गैर वित्तीय शीर्ष में शारीरिक पीड़ा, मानसिक वेदना तथा वित्तीय शीर्ष में जैसे अटेंडेस व आवागमन व्यय, पौष्टिक आहार, आय की हानि एवं मेडिकल व्यय को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदक के हाथ में अस्थिभंग होना पाया गया है जिसके कारण निश्चित रूप से आवेदक को कार्य करने में काफी समय तक शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी होगी। आवेदक के ईलाज के दस्तावेजों से दर्शित है कि आवेदक लगभग 02 माह तक ईलाजरत रहा है। अतः इस क्लेम प्रकरण में भी दिये गये विभिन्न शीर्षकों में आवेदक को प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में निम्नानुसार आवेदक को प्रतिकर दिलाया जाना उचित पाता हूं :–

क0	मद	राशि
1.	शारीरिक पीड़ा	5,000/–रुपये
2.	मानसिक वेदना	5,000/–रुपये
3.	पौष्टिक आहार	2,000/–रुपये
4.	अटेंडर, आवागमन व्यय	3,000/–रुपये
5.	जीवन की सौम्यता में कमी	10,000/–रूपये

6.	लंबे जीवन की प्रत्याशा में कमी	10,000/–रूपये
7.	मेडिकल व्यय	3,500/–रुपये
8.	03 माह की आय का नुकसान	25,500/–रूपये
	कुल	**64,000/–रुपये**

20– चोटों की प्रकृति और आवेदक की उम्र, आमदनी, उसके कार्य की प्रकृति के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में यदि आवेदक को उक्तानुसार कुल राशि रूपए 64,000/–(अक्षरी चौंसट हजार रुपये) प्रतिकर दिलाया जा सकता है तो इसे युक्तियुक्त और न्यायसंगत प्रतिकर कहा जा सकता है।

21– अनावेदक क0 1 की लापरवाही से दुर्घटना हुई है एवं अनावेदक क0 2 आक्षेपित वाहन की स्वामी है इसलिए अनावेदकगण संयुक्ततः या पृथक–पृथक प्रतिकर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं। अतः आवेदक, अनावेदकगण से 64,000/– (अक्षरी चौंसट हजार रुपये) प्रतिकर पाने का पात्र है। यही वाद प्रश्न कमांक 3 का निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक–4 का निराकरण</u> :–

22– आवेदक ने कार्यवाही तत्परता पूर्वक चलायी है, अनुचित विलंब कारित नहीं किया है इसलिए यह अधिकरण उसे प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 12.10.2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज एवं प्रार्थना पत्र का व्यय 1,000/–(एक हजार) रूपए दिलवाना उचित मानता है। आवेदक नियमानुसार अभिभाषक शुल्क भी पाने का पात्र हैं।

23– अतः आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदक के विरूद्ध निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है किः–

1.	अनावेदकगण संयुक्ततः या पृथक–पृथक 02 माह के भीतर आवेदक को 64,000/–(अक्षरी चौंसट हजार रुपये) प्रतिकर एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 12.10.2022 से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करें।
2.	क्षतिपूर्ति की जमा राशि एवं उसके ब्याज की राशि जमा होने पर आवेदक को पूरी राशि नगद भुगतान की जाये।
3.	आवेदक ने यदि कोई राशि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की हो तो उसका समायोजन अंतिम अधिनिर्णय की राशि में किया जावे।
4.	इन प्रार्थना पत्र का खर्चा 1,000/–(एक हजार) रूपए एवं अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अनुसूची अनुसार या प्रमाण पत्र अनुसार (जो भी कम हो) अदा किया जावे।

5.	व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टाईप किया।

सही/–
(शोएब खान)
अति. सदस्य मो.दु.दावा अधिकरण
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र0)

सही/–
(शोएब खान)
अति. सदस्य मो.दु.दावा अधिकरण
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र0)

Shoaib Khan

Digitally signed by Shoaib Khan
Date: 2023.08.14 01:59:07 +0530